

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ शासन, राजस्व आपदा प्रबंध विभाग
--: अधिसूचना :-

दिनांक 26 दिसम्बर, 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/17-18 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि एन0टी0पी0सी0तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधियिम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

1. जिला-
2. तहसील-
3. नगर/ग्राम-
4. क्षेत्रफल-

रायगढ

तमनार

बरकसपाली

6.607 हे0

खसरा नंबर	रकबा (हे0में)	खसरा नंबर	रकबा (हे0में)	खसरा नंबर	रकबा (हे0में)	खसरा नंबर	रकबा (हे0में)
277 / 2	0.611	275 / 7	0.089	265 / 16	0.016	255 / 3	0.089
277 / 3	0.076	262 / 3	0.008	265 / 17	0.032	254 / 3	0.024
278 / 5	0.012	261 / 2	0.036	263 / 4क	0.023	254 / 6	0.028
263 / 10	0.036	263 / 12	0.040	263 / 14	0.020	254 / 7	0.020
238 / 1	0.004	263 / 11	0.060	265 / 15	0.073	255 / 5	0.012
265 / 12	0.042	262 / 1	0.170	250 / 4ज	0.114	258 / 1	0.052
263 / 4च	0.044	250 / 6	0.437	264 / 1	0.101	254 / 4	0.056
263 / 4 / छ / 4	0.017	250 / 3	0.093	264 / 2	0.072	258 / 2	0.052
255 / 2	0.043	246 / 3	0.202	263 / 13	0.040	254 / 2	0.028
275 / 10	0.089	250 / 9	0.206	247	0.056	254 / 5	0.069
275 / 6	0.192	244 / 1	0.336	250 / 8	0.178	255 / 1	0.049
256 / 1	0.817	244 / 2	0.069	279	0.144	255 / 4	0.072
256 / 2	0.318	246 / 9	0.295	263 / 4 / छ / 6	0.017	250 / 2	0.364
262 / 2क	0.109	246 / 7	0.169	263 / 4 / छ / 5	0.017		
261 / 1	0.114	250 / 4ख	0.031	262 / 4 / ख / 1	0.024		
कुल खसरा नंबर 58 कुल रकबा 6.607 हे0							

5. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

6. उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्य के नाम से तथा
आदेशानुसार

(शम्मी आबिदी)

कलेक्टर, रायगढ

एवं पदेन उप सचिव छ0ग0शासन

राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग